चालानी पेश हुई। अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे नियमानुसार सम्बन्धित चालान के समस्त प्रपत्रों का अवलोकन कर नियमानुसार जुर्माना अधिरोपित किया गया, जिसे अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमा किया गया। तदोपरान्त चालानी नियमानुसार निस्तारित की गयी।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
आगरा।